माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

वर्ष 2016 की परीक्षाओं के परिणाम बाबत पंजीयन सूचना

वर्ष 2016 की सभी मुख्य परीक्षाओं के परिणाम वेब साइट, मोबाइल व आई. वी. आर. एस. पद्धति से कार्यालय को सेवा देने के लिये फर्मो के पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 29 फरवरी 2015 तक आमंत्रित हैं। आवेदन के साथ फर्म का कार्यक्षेत्र, संबंधित कार्य का अनुभव तथा वर्तमान में इस प्रकार की दी जा रही सेवाओं का विस्तृत विवरण/प्रमाण संलग्न होगा चाहिये। उपरोक्त कार्य उन्ही चयनित फर्मो से करवाया जावेगा जो वास्तव में स्वयं सेवा प्रदाता हैं अथवा स्वयं द्वारा सेवा देने हेतु अन्य फर्मो का नेटवर्क प्रयोग करने हेतु कोलोबरेशन किया हुआ हैं। इस हेतु फर्मों को उपरोक्त विवरण व प्रमाण सहित आवेदन 100 रू के नानज्युडिशियल स्टाप पेपर पर संलग्न शपथ पत्र के रूप मे तथा पंजियन शुल्क रू 30000/– (रू 30 हजार मात्र) का डी. डी. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम (Payable to “The Secretary, Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer”) अथवा नगद राशि दिनांक 29 फरवरी 2016 अपराह्न 3 बजे तक आवश्यक रूप से बोर्ड कार्यालय में सैकेण्डरी, प्रवेशिका, सी. सेकैण्डरी व वरिष्ठ उपाध्याय के समस्त परिणाम देने के लिये जमा करवाना होगा।

आवेदन के लिफाफे पर ''वर्ष 2016 के परीक्षा परिणाम बाब्त पंजियन हेतु आवेदन'' अंकित किया जाना होगा।

सचिव

बाण्ड

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी.. अधिकृत प्रशासनिक प्रतिनिधि .... (फर्म का नाम) की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (बोर्ड) को बोर्ड परीक्षा 2016 परिणाम इन्टरनेट/एस.एम.एस. व अन्य के माध्यम से निम्नानुसार उपलब्ध कराने की अभिस्वीकृति देता हूं :-

1. यह कि फर्म उक्त सुविधा इन्टरनेट/एस.एम.एस./आई.वी.आर.एस. इत्यादि हेतु निम्न वेब साईट/टेलीफोन/मोबाईल आदि पर सेवाएं देगी।

इन्टरनेट

Sl No	Name of Exam	Web Site

एस.एम.एस.

Sl No	Name of Exam	SMS to	Desription (Syntex and operator)

आई.वी.आर.एस

Sl No	Name of Exam	Phone No	Description

<u>उपरोक्त में कोई फेरबदल नहीं किया जावेगा</u>।

2. यह कि परिणाम हेतु बोर्ड द्वारा गोपनीय कोड सूचना बोर्ड के तकनीक अधिकारी (कम्प्यूटर) से परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 घण्टा पूर्व ही फर्म द्वारा लिये जा सकेगें। फर्म उक्त सूचना को परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व पूर्ण रूप से गोपनीय रखेगी।
3. यह कि बोर्ड यह सुविधा वर्तमान में केवल परीक्षा 2016 तक के लिये ले रहा हैं। तत्पश्चात् बोर्ड स्तर पर आपसी सहमति से निर्णय लिया जाकर इसे Extension दिया जा सकता हैं।
4. यह कि फर्म द्वारा उपरोक्त समस्त सेवा बोर्ड को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। बोर्ड केवल डाटा उपलब्ध करायेगा व इसके अलावा बोर्ड पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं होगा।
5. यह कि फर्म द्वारा बोर्ड को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का प्रचार प्रसार फर्म द्वारा अपने स्तर पर ही किया जायेगा।
6. यह कि फर्म द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं में यदि कोई तकनीकी अथवा अन्य खराबी आती हैं तो फर्म द्वारा उक्त तकनीकी खराबी को 24 घण्टों के भीतर ठीक करना होगा। अगर फर्म द्वारा उक्त समय में सुविधाओं को संचालित नहीं किया जा सका तो बोर्ड अपने स्तर पर उक्त सुविधाओं के लिये अन्य व्यवस्था फर्म को की जोखिम एवं लागत पर कराने के लिये सक्षम एवं स्वतन्त्र होगा।
7. यह कि बोर्ड द्वारा फर्म को परीक्षा परिणाम की सी.डी. उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोर्ड कार्यालय में आकर प्राप्त करनी होगी। उक्त हेतु फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा की अधिकृत प्रतिनिधि अपने साथ इसका प्रमाण लेकर प्रस्तुत हो।
8. यह कि फर्म यह सुनिश्चित करेगी की परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा बताई दिनांक व समय पर ही उपलब्ध हो एवं परिणाम जानने का Response Time कम से कम हो एवं फर्म द्वारा आवश्यक Disclaimer भी प्रदर्शित किया जावें।
9. यह कि फर्म द्वारा किसी भी तरह के अश्लील एवं अनैतिक विज्ञापन वेबसाइट, दूरभाष, मोबाईल इत्यादि पर प्रदर्शित नहीं किये जायेगें। केवल शालीन व शैक्षिक विज्ञापन का ही प्रदर्शन किया जायेगा। विज्ञापनों को बोर्ड के तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर) से जारी करनें से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।
10. फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनके Server पर Fire wall एवं Security System इत्यादि लगाये हुये हैं, जिससे किसी भी प्रकार से अनाधिकृत व्यक्ति अथवा वायरस परीक्षा परिणाम वाले सरवर को Access न कर सके।
11. बोर्ड द्वारा दी गई परीक्षा परिणाम सूचना केवल फर्म द्वारा ही उपयोग में ली जायेगी एवं यह इसे किसी भी अन्य फर्म/व्यक्ति को समान अथवा अलग प्रकृति के कार्यो के लिये नहीं देगी।
12. यह कि फर्म का उक्त सुविधा Exclusive नहीं दी जा रहीं हैं एवं बोर्ड द्वारा अन्य समान प्रकृति का कार्य कर रही फर्म को भी बोर्ड का परीक्षा परिणाम दिया जा सकता हैं।
13. यह कि यदि बोर्ड यह महसूस करती है कि फर्म द्वारा उक्त सूचना परीक्षार्थी को ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं हो रही हैं तो फर्म को आगें घोषित होने वाले परीक्षा परिणाम नहीं दिये जायेगें।

(फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय सील) सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

14. यह कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय का अधिकार अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , अजमेर के पास सुरक्षित रहेगा व उनका निर्णय ही फर्म व सम्बन्धित को मान्य होगा।

15. **यह कि फर्म मोबाईल पर परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व भ्रामक विज्ञापन नहीं देगी जिससे परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने से भ्रमित हों।**

16. **यह है कि फर्म को परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक माह बाद आवश्यक रूप से उनके द्वारा परीक्षावार रिजल्ट हिट्स/फोन कॉल्स का विवरण बोर्ड को ई–मेल से भेजना सुनिश्चित करना होगा।**

17. फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त कार्य में केवल दो व्यक्ति ही अधिकृत किये जावें जिसमे एक तकनीकी कार्य एवं दूसरे प्रशासनिक कार्य हेतु अधिकृत होगें। उक्त प्रतिनिधि बोर्ड से सम्पर्क में उक्त अवधि के दौरान रहेगें। उक्त प्रतिनिधियों के नाम, पद, फोन नम्बर व ई–मेल आई.डी. से इस कार्यालय को अनुबन्ध के समय अवगत करना होगा।

18. यह कि फर्म द्वारा बोर्ड के परीक्षा परिणाम के पूर्वाभ्यास हेतु अनुबन्ध के तुरन्त पश्चात पूर्व वर्ष के डेटा सेम्पल के आधार पर बोर्ड को परिणाम बताने की प्रक्रिया की कार्यवाही करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम सुचारू रूप से एवं त्रुटिरहित हो।

19. उक्त बिन्दुओं की पूर्ण पालना बिना बाधा फर्म से सुनिश्चित की जावेगी।

....	....
(फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय सील)	सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

पता ....
....
....
....
....

टेलीफोन ....

मोबाईल ....

EMail ....

गवाह :–

1.	1. ....
2.	2. ....